संख्या :      /जी0एस0(शिक्षा)/A3-101(4)/2020

प्रेषक,

**डा0 रंजीत कुमार सिन्हा,**
कुलाधिपति के सचिव।

सेवा में,

**कुलपति,**
कुमाऊँ विश्वविद्यालय,
नैनीताल।

**राज्यपाल/कुलाधिपति सचिवालय : उत्तराखण्ड**      देहरादून दिनांक 14 नवम्बर, 2022

महोदय,

कृपया कुलसचिव के पत्र संख्या : 437 दिनांक 20 सितम्बर, 2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें कुलसचिव द्वारा इन्दिरा प्रियदर्शनी राजकीय स्नातकोत्तर महिला वाणिज्य महाविद्यालय, हल्द्वानी को एम0एससी0 (भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं वनस्पति विज्ञान) पाठ्यक्रम में शैक्षिक सत्र 2021–22 से स्थाई सम्बद्धता का प्रस्ताव संस्तुति सहित इस सचिवालय को उपलब्ध कराया गया है।

2– शैक्षिक सत्र 2021–22 से स्थाई सम्बद्धता के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निरीक्षण मण्ड़ल की आख्या, कुलसचिव एवं कुलपति की संस्तुति के आधार पर उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम–1973 (यथाप्रवृत्त उत्तराखण्ड राज्य) की धारा–37 (2) के अन्तर्गत संस्थान को निम्न तालिका के अनुसार उसके नाम के सम्मुख वर्णित पाठ्यक्रमों, सीटों एवं अवधि से स्थाई सम्बद्धता प्रस्ताव पर मा0 कुलाधिपति द्वारा निम्न उपबन्धों के साथ अनुमोदन/स्वीकृति प्रदान की गई है :–

| क्रमांक | महाविद्यालय/संस्थान का नाम | पाठ्यक्रम का नाम | प्रवेश क्षमता (कुलपति की संस्तुतिनुसार) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 01 | इन्दिरा प्रियदर्शनी राजकीय स्नातकोत्तर महिला वाणिज्य महाविद्यालय, हल्द्वानी। | **एम0एससी0** (भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं वनस्पति विज्ञान) | 30 सीट प्रति विषय |

**1–** निरीक्षण मण्डल की आख्या एवं कुलपति की संस्तुति के दृष्टिगत विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद, U.G.C विनियमों व नियामक संस्था के मानकों के पूर्ण करने की दशा में सम्बद्धता सम्बन्धी आदेश निर्गत करने की कार्रवाई करें व विश्वविद्यालय तत्सम्बन्धी कृत कार्रवाई की सूचना मा0 कुलाधिपति महोदय के अवगतार्थ 02 माह की अवधि के भीतर उपलब्ध करायें।

**2–** महाविद्यालय में भवन एवं पुस्तकालय के अपूर्ण मानकों को पूर्ण कराने का दायित्व विश्वविद्यालय का है तथा जिन मानकों को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में शासन/उच्च शिक्षा विभाग से कार्रवाई अपेक्षित हो, इस सम्बन्ध में इस सचिवालय के पत्र संख्या 2131, दिनांक 07 सितम्बर, 2022 के क्रम में सम्बन्धित विभाग से समन्वय स्थापित कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करे।

भवदीय,

**(डा0 रंजीत कुमार सिन्हा)**
कुलाधिपति के सचिव।

**संख्या : 3031 (1)/जी0एस0(शिक्षा)/A3-101(4)/2020 तद्दिनांकित।**

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1. सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा, हल्द्वानी।
3. प्रबन्धक/प्राचार्य–इन्दिरा प्रियदर्शनी राजकीय स्नातकोत्तर महिला वाणिज्य महाविद्यालय, हल्द्वानी।
4. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से,

**(स्वाति एस0 भदौरिया)**
कुलाधिपति के अपर सचिव।